

संख्या-१५४७/एक-10-2021

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

चित्रकूट।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25/10/2021

विषय:- कोविड-19 के दृष्टिगत कय किये आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा मेडिकल इक्विपमेंट के लिये स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्र संख्या १९६/आपदा सहायक /२०२१-२२ दि० २८ जुलाई २०२१ के सन्दर्भ में नोवेल कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु क्रय किये गये अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा मेडिकल इक्विपमेंट के वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के लम्बित देयों के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 34,51,863.00 (रु० चौतीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ तिरसठ मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) क्रय किए गए मेडिकल उपकरणों का सत्यापन एवं उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में सुनिश्चित करायी जाय तथा उसका विवरण चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जाय।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में

शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रु० 34,51,863.00 (रु० चौतीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ तिरसठ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-१०-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)

सचिव।

संख्या- १५४७(1)/एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-३, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र० प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30 प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30 प्र० शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30 प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30 प्र० लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30 प्र०।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), 30 प्र० शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30 प्र०।
- १०- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30 प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 1१- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 1२- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

Signed by रणवीर प्रसाद

Date: 25-10-2021 15:59:13

Reason: Approved

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1547
आवंटन आदेश संख्या:- 130-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3451863 24451863	3451863 24451863
	योग	वर्तमान प्रगामी	3451863 24451863	3451863 24451863

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौंतीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ तिरेसठ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ तिरेसठ

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।